<u>रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-09112022-240140 CG-DL-E-09112022-240140

> असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 547] No. 547] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 9, 2022/ कार्तिक 18, 1944 NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 9, 2022/ KARTIKA 18, 1944

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अक्तूबर, 2022

फा. सं. आरए—14026(11)/1/2022—केविविआ.—चूंकि केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्रों हेतु निबंधन व शर्तें) विनियम, 2022 को दिनांक 24.05.2022 को भारत के असाधारण राजपत्र के भाग—III, धारा 4, सं. 272 में प्रकाशित किया गया था.

चूंकि, उक्त विनियमों के विनियम 1 के खंड (2) में उपबंध है कि ये विनियम आयोग द्वारा शासकीय राजपत्र में अधिसूचित की जाने वाली तारीख से प्रवृत्त होंगे।

और, अब, अतएव, यह अधिसूचित किया जाता है कि केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्रों हेतु निबंधन व शर्तें) विनियम, 2022 दिनांक 05.12.2022 से प्रवृत्त होंगे।

हरप्रीत सिंह प्रुथी, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./370/2022-23]

7425 GI/2022 (1)

CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION NOTIFICATION

New Delhi, the 31st October, 2022

F. No. RA-14026(11)/1/2022-CERC.— Whereas the Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Renewable Energy Certificates for Renewable Energy Generation) Regulations, 2022 were published in Part-III, Section 4, No. 272 of the Gazette of India Extraordinary on 24.05.2022,

Whereas, the Clause (2) of Regulations 1 of the said regulations provides that the Regulations shall come into force from the such date as may be notified by the Commission in the Official Gazette.

And, now, therefore, it is notified that the Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Renewable Energy Certificates for Renewable Energy Generation) Regulations, 2022 shall come into force with effect from 05.12.2022.

HARPREET SINGH PRUTHI, Secy. [ADVT.-III/4/Exty./370/2022-23]